पारिभाषिक संज्ञा

संज्ञा	अर्थ
मेडिकल टर्मिनेशन ऑफ़ प्रेग्नन्सी (एमटीपी)	एमटीपी एक्ट के अंतर्गत आनेवाली शर्तोंद्वारा सर्जिकल अथवा वैद्यकीय प्रक्रिया से किए गए गर्भपात को इस संज्ञा का इस्तेमाल किया जाता है।
एमटीपी कानून	यह कानून संसद में १९७१ में पारित हुआ और १९७२ में उसका अंमल किया गया। इस कानून के अंतर्गत निम्न बातें स्पष्ट की गयी हैं। • गर्भपात करनेवाले वैद्यकीय प्राधिकारी की अर्हता • गर्भपात जिन वजहों से किया जाता है उसकी वजह • गर्भपात जहाँ किया जा सकता है वह स्थान • गर्भपात कानूनी होनेवाला गर्भावस्था की कालावधी
पीसी ॲण्ड पीएनडीटी (प्री कन्सेप्शन ॲण्ड प्रीनॅटल डायग्नोस्टिक टेक्निक्स) कानून	भारत में कानून के अंतर्गत जन्मपूर्व लिंगनिदान को मनाई की गयी है।
गर्भ की उम्र और कालावधि	यह गर्भावस्था की कालावधि है और वह माहवारी के पहले दिनसे गिना जाता है (एलएमपी।) वह सामान्यतः सप्ताहों में गिना जाता है। भारत में एमटीपी गर्भावस्था के बीसवे सप्ताह तक की जा सकती है।
पहले त्रैमासिक एमटीपी	२० सप्ताहों का कालावधि सामान्यः दो विभागों में विभाजित किया गया है। उसे गर्भावस्था की परिपक्वता के बारे में विभिन्न वैद्यकीय कारण हैं। गर्भावस्था के १२ वे सप्ताह तक गर्भपात किया जाए उसे पहले त्रैमासिक में की गयी एमटीपी कहा जाता है।
दूसरे त्रैमासिक एमटीपी	१२-२० सप्ताह के बीच में गर्भपात होना। दूसरे त्रैमासिक के गर्भपात हेतु दो चिकित्सकों की सलाह लेना जरूरी होता है।
एलएमपी	इसका मतलब लास्ट मॅन्युस्ट्रल पीरियड होता है। यह अत्यंत महत्त्वपूर्ण है क्योंकि गर्भावस्था की कालावधि पिछले माहवारी के पहले दिन से गिनी जाती है।
प्रोडक्ट्स ऑफ़ कन्सेप्शन (पीओसी)	यह एक प्रेग्नन्सी टिश्यु मास है। गर्भपात के दौरान इसे निकाल फेक दिया जाता है। इस टिश्यु से हमें गर्भावस्था की लगभग कालावधि का पता चलता है।
भ्रूण	गर्भधारणा होने के बाद आठवे सप्ताह से गर्भ के मानवी विकास (फलन के बाद) और जन्म के बाद समाप्त होनेवाली स्थिति
एमटीपी प्रक्रिया	सर्जिकल- सर्जिकल साधनों के द्वारा गर्भपात किया जाता है। उसके लिए व्हॅक्युम ॲस्पायरेशन अथवा मेकॅनिकल इव्हॅक्युएशन किया जाता है। वैद्यकीय- गर्भपात करने हेतु दवाइयों का इस्तेमाल किया जाता है।
ॲबॉर्शन की सर्जिकल मेथड	डायलाटेशन ॲण्ड क्युरेटेज (डीॲण्डसी)- डायलाटेशन का मतलब सर्व्हायकल कैनल का विस्तृत होना (गर्भ की तरफ खुलनेवाला) है और क्युरेटेज का मतलब गर्भ की त्वचा को साफ करना। इस प्रक्रिया में गर्भ को डायलेटर्स नाम की विभिन्न साधनों की सहाय्यता से डायलेट करना और उसके बाद कॉन्सेप्शन के घटक क्युरेट इस तीव्र साधन की सहाय्यता से निकाल दिए जाते हैं। गर्भ के डायलेशन की वजह से बडा क्युरेट गर्भ में जाने हेतु आवश्यक होता है। यह एक अत्यंत वेदनादायी तथा समय का अपव्यय करनेवाली प्रक्रिया है। गर्भपात की वजह से व्हॅक्युम ॲस्पायरेशन या गर्भपात के सर्जिकल पद्धती की तुलना में उसमे कुछ कठिनाइयाँ भी आने की संभावना है। डी एण्ड सी एक संपूर्ण गर्भपात प्रक्रिया है और उसे व्हॅक्युम एस्पायरेशन और/या गर्भपात की वैद्यकीय पद्धतियों से करना आवश्यक है। (डब्ल्यूएचओ २०१२) व्हॅक्युम एस्पायरेशन- इस प्रक्रिया में गर्भपात एक व्हॅक्युम या नकारात्मक दबाव स्त्रोत के द्वारा गर्भ के साधन बाहर निकाल के किया जाता है। इलेक्ट्रिक- इसमें व्हॅक्युम सक्शन मशीनसे निर्माण किया जाता है और निकाले जानेवाली पद्धति को इलेक्ट्रिक व्हॅक्युम एस्पायरेशन (इव्हीए) या सक्शन इव्हॅक्युएशन (एसई) कहा जाता है। मानवी- इसमें व्हॅक्युम हाथ में पकडे हुए सीरिंज की सहाय्यता से किया जाता है और इस खाली करने की प्रक्रिया को (एमव्हीए) कहा जाता है। डीएण्डई (डायलेशन और इव्हॅक्युएशन)- यह एक जेनेरिक संज्ञा हैं जिसका इस्तेमाल गर्भपात के लिए किया जाता है। यहाँ गर्भ मेटल/प्लास्टिक डायलेटर्स से डायलेट किया जाता है और उसके बाद यह व्हॅक्युम सोर्स अथवा सर्जिक साधनों के खाली किया जाता है।

संज्ञा	अर्थ
एबॉर्शन की वैद्यकीय पद्धती	यह दवाइयों की मदद से होनेवाली गर्भपात की पद्धति है। भारत में इसके लिए दो दवाइयाँ मान्यताप्राप्त हैं; • मिफेप्रिस्टोन (आरयू ४८६) • मिसोप्रोस्टोन • भारत में दवाइयों का इस्तेमाल (मिफेप्रिस्टोन और मिसोप्रोस्टोन) गर्भपात के लिए नौ हफ्तों तक किया जा सकता है। • मिफेप्रिस्टोन (आरयू ४८६)- प्रोजेस्टरोन एक ऐसा हार्मोन है जो गर्भ के बढने के लिए आवश्यक है। इस दवाई में एन्टी प्रोजेस्टरोन घटक है। उसकी वजह से गर्भ का बढना रूक जाता है। वैद्यकीय गर्भपात की प्रक्रिया इस दवाई से शुरू होती है। मिसोप्रोस्टोल- इस दवाई का इस्तेमाल गर्भाशय को नरम बनाने हेतु किया जाता है। उस वजह से वह आसानी से डायलेट होता है। उससे गर्भाशय सिकुडने के लिए मदद मिलती है। गर्भाशय नरम होने की वजह से और गर्भाशय के स्नायू सिकुडने के लिए भी मदद मिलती है।
आपत्कालीन गर्भनिरोधन	आपत्कालीन गर्भनिरोधन अथवा शारीरिक संबंध के बाद किया गया निरोधन मतलब गर्भनिरोधन की एक ऐसी पद्धति जिससे शारीरिक संबंध आने के बाद पहले कुछ दिनों में गर्भधारणा रोकी जा सकती है। असुरक्षित शारीरिक संबंध के बाद या गर्भनिरोधक असफल होने के बाद अथवा इस्तेमाल ठीकसे ना होने के बाद (जैसे भूली हुई दवाइयाँ या फटा हुआ कॉन्डोम), बलात्कार या जबरदस्ती संबंध होने के बाद आपत्कालीन इस्तेमाल के लिए
आपत्कालीन गर्भनिरोधन के पद्धति	• इमर्जन्सी कॉन्ट्रासेप्शन पिल्स (ईसीपी)- डब्ल्यूएचओ की सूचना के अनुसार भारत के औषध महानियंत्रक ने • लिव्होनोर्जेस्ट्रेल का इस्तेमाल इसीपी के तौरपर करने के लिए अनुमति दी है। भारत सरकार की मान्यताप्राप्त गाइडलाइन्स के तहत असुरक्षित लैंगिक संबंध आने के बाद सात घंटों के अंदर ईसीपी करने की सूचनाएँ हैं। यह उत्पादन मार्केट में उपलब्ध है। उसके लिए रजिस्टर्ड वैद्यकीय सेवादाता के प्रिस्क्रिप्शन की जरूरत नहीं पडती। • कॉपर बेअरिंग इन्ट्रायुटेरिन डिव्हायसेस (आययूसीडीज)- एक आययूसीडी का इस्तेमाल आपत्कालीन गर्भनिरोधन हेतु असुरक्षित शारीरिक संबंध के बाद सात दिनों में किया जा सकता है। इसकी वजह से यह एक अत्यंत प्रभावशाली गर्भनिरोधन की जरूरत होनेवाली महिला के लिए वरदान होता है।
इसीपी और एमएमए में फर्क	इसीपी यह एक असुरक्षित संभोग के बाद गर्भधारणा ना होने के लिए इस्तेमाल की जानेवाली प्रक्रिया है। उससे फलन या बीजरोपण नहीं होता। यह मार्केट में आसानी से उपलब्ध दवाई है और उसका इस्तेमाल असुरक्षित संभोग के बाद ७२ घंटों के अंदर गर्भावस्था न आने के लिए किया जाता है। उसी समय एमएमए यह एक गर्भपात की प्रक्रिया है और वैद्यकीय सेवादाताओं से प्रिस्क्रिप्शनपर इसकी दवाइयाँ इस्तेमाल की जा सकती है।
सुरक्षित गर्भपात	कुशल व्यक्तीने आवश्यक सभी वैद्यकीय साधनों का इस्तेमाल कर सरकारी मान्यताप्राप्त केंद्रपर गर्भपात करने की प्रक्रिया
अपूर्ण गर्भपात	गर्भपात की प्रक्रिया से अगर भ्रूण पूरीतरह या उसका कोई घटक या प्रोडक्ट ऑफ़ कन्सेप्शन पूरी तरह से निकाला नहीं गया तो उसे अपूर्ण गर्भपात कहा जाता है।
प्रवर्तित गर्भपात	किसी महिलाने अपना गर्भपात किसी सेवादाता से इच्छा से करवाया तो उसे प्रवर्तित गर्भपात कहा जाता है।
फँसा हुआ गर्भपात	यह गर्भावस्था की ऐसी अवस्था है जहाँ भ्रूण का बढना रुकता है और वह आगे नहीं बढता। ऐसे समय में गर्भपात करना आवश्यक होता है।
तत्काल गर्भपात	किसी भी बाहर के बाधा के बिना गर्भपात की प्रक्रिया अपने आप शुरू हो जाती है।
सेप्टिक एबॉर्शन	उपरोल्लिखित किसी भी प्रकार का गर्भपात अगर किसी भी संसर्ग से संबंधित हो तो उसे सेप्टिक एबॉर्शन कहा जाता है।
मेन्स्ट्रुअल रेग्युलेशन	यह प्रक्रिया किसी महिला की माहवारी किसी भी वजह से नहीं आयी (गर्भावस्था और इतर) तो वह फिरसे शुरू करने हेतु अथवा नियमित करने हेतु की जाती है। माहवारी ना आने के बाद पहले १५ दिनों में वह की जाती है और १९७० में जब गर्भावस्था की पहिली अवस्था पहचानने हेतु युरिन टेस्ट उपलब्ध नहीं था तब वह बहोतही लोकप्रिय थी। वह एमआर सीरिंज की सहाय्यता से की जाती थी। वह युटेराइन घटक निकालने हेतु एक मानवी स्त्रोत है।
अनसेफ एबॉर्शन	इस प्रकार की प्रक्रिया सुरक्षित पूरी करने हेतु किसी भी प्रकार की कुशलता अथवा प्रशिक्षण ना होनेवाले व्यक्ती के हाथों गर्भपात किया गया अथवा कम से कम वैद्यकीय पात्रता न होनेवाली जगह पर अथवा ऐसे वातावरण में किया गया या दोनों।